



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275730
CG-DL-E-25082026-275730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4499]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4499]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4684(अ).—जबकि भारत सरकार को, लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए मुंबई रिफायनरी (मुंबई) से रसायनी (पनवेल, रायगड) के लिए पाईपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाइन्स बिछाई जाना आवश्यक है।

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन्स बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, उस भूमि में जिसमें उक्त पाईपलाइन्स बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन्स बिछाए जाने के सम्बन्ध में, सक्षम प्राधिकारी, मुंबई से रसायनी पाईपलाइन्स परियोजना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी पनवेल कार्यालय जूना ठाना नाका रोड, पनवेल, जिला-रायगड- 410206 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील - पनवेल

जिला - रायगड

राज्य - महाराष्ट्र

गाँव का नाम	सर्वे नं./गट नं.	हिस्सा नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)		
नांदगाव	36/2	-	00	05	00
वडवली	39/5	-	00	05	00
	19	-	00	07	00
शिरदोण	201		00	13	00
	87		00	15	00
	84		00	10	00
	112		00	9	00
दहीवली	82	-	00	02	00
सोमटने	157	-	00	14	00

[फा. सं. आर-12031/1/2019-ओआर-1/ई-29183]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4684(E).—Whereas, it appears to the Government of India, that it is necessary in the public Interest that for the transportation of the Petroleum Products from Mumbai Refinery (Mumbai) to Rasayani (Panvel, Raigad) in the state of Maharashtra, pipelines should be laid by M/s Bharat Petroleum Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Government of India that for the purpose of laying the said pipelines, It is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipelines are proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User

therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, Mumbai to Rasayani Pipelines Project, Bharat Petroleum Corporation Limited, Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate Office, Juna Thana Naka Road, Panvel, Raigad- 410206 in the State of Maharashtra.

SCHEDULE

Tehsil: Panvel

District: Raigad

State: Maharashtra

Name of Village	Survey No/Gut No.	Sub-Division No	Area		
			Hectare	Are	Sqm
(1)	(2)	(3)	(4)		
NANDGAON	36/2	-	00	05	00
VADAVALI	39/5	-	00	05	00
	19	-	00	07	00
SHIRDHON	201	201	00	13	00
	87	87	00	15	00
	84	84	00	10	00
	112	112	00	9	00
DAHIVALI	82	-	00	02	00
SOMATANE	157	-	00	14	00

[F. No. R-12031/1/2019-OR-I/E-29183]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under secy.